

*ई-मेल

स्पीड पोस्ट/निबंधित
डाक

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

राजेश कुमार तिवारी,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

*द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक-

विषय:- नगर निगम, समस्तीपुर क्षेत्रान्तर्गत नाला निर्माण कार्य हेतु कुल राशि ₹35.67421 लाख (पैंतीस लाख सड़सठ हजार चार सौ ईक्कीस रूपये) मात्र वित्तीय वर्ष 2025-26 में तत्काल व्यय की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2015-16 में विभागीय राज्यादेश संख्या-139, दिनांक-29.03.2016 द्वारा कुल राशि ₹802.698 लाख का प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुये ₹151.9627 लाख रूपये आवंटित किया गया। नगर निगम, समस्तीपुर क्षेत्रान्तर्गत Construction of R.C.C. Drain from Gandhi Chowk to Middle School Chowk Bahadurpur (Bangali Tola Road) & Construction of R.C.C. Drain From D.E.O. Office to Ganesh Chowk Via Arya Samaj Road निर्माण कार्य हेतु नगर निगम, समस्तीपुर के पत्रांक-3171, दिनांक-29.08.2025 द्वारा उक्त योजना हेतु अवशेष राशि आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

2. नगर निगम, समस्तीपुर द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में नगर निगम, समस्तीपुर क्षेत्रान्तर्गत तालिका के स्तम्भ-3 में अंकित योजनाओं के सम्मुख स्तम्भ-06 में अंकित एकरारनामा के अनुसार योजना के कार्यान्वयन हेतु स्तम्भ-7 में अंकित शेष राशि ₹35.67421 लाख (पैंतीस लाख सड़सठ हजार चार सौ ईक्कीस रूपये) मात्र वित्तीय वर्ष, 2025-26 में सहायक अनुदान के रूप में व्यय की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है :-

(राशि लाख में)

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	पूर्व में आवंटित राशि	एकरारनामा की कुल राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	नगर निगम,	Construction of R.C.C. Drain from Gandhi Chowk to Middle School Chowk Bahadurpur (Bangali Tola Road)	44.41200	20.00000	37.22957	17.22957
2	समस्तीपुर	Construction of R.C.C. Drain From D.E.O. Office to Ganesh Chowk Via Arya Samaj Road	38.67100	20.00000	38.44464	18.44464
कुल			83.08300	40.00000	75.67421	35.67421

अर्थात् ₹35.67421 लाख (पैंतीस लाख सड़सठ हजार चार सौ ईक्कीस रूपये) मात्र।

3. उक्त स्वीकृत राशि ₹35.67421 लाख (पैंतीस लाख सड़सठ हजार चार सौ ईक्कीस रूपये) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होंगे, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561, दिनांक-17.04.98, पत्रांक-227, दिनांक-28.03.2025 एवं पत्रांक-950 दिनांक-12.12.2025 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। **उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राशि नगर निगम,**



समस्तीपुर के PL खाता STRPLA006, HOA संख्या-00-8448-00-102-0001-00-01 में CFMS के माध्यम से Inter Departmental विधि से Online हस्तांतरित किया जाएगा।

4. उक्त स्वीकृत राशि ₹35.67421 लाख (पैंतीस लाख सड़सठ हजार चार सौ ईक्कीस रूपये) मा माँग संख्या-48, नगर विकास एवं आवास विभाग, मुख्य शीर्ष-2215-जल पूर्ति तथा सफाई, उपमुख्य शीर्ष-02-मल-जल तथा सफाई, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-0101-नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिये शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड-48-2215027890101, विषय शीर्ष-0101.31.05 सहायता अनुदान से की जायेगी।

5. बिहार कोषागार सहित के नियम- 286 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०- 46 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 1496/वि(2), दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जाएगा। राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक-61, दिनांक- 11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण पत्र BTC-42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जाएगी।

6. उक्त योजना का कार्यान्वयन ई०-टेंडरिंग के माध्यम से संबंधित नगर निकाय द्वारा कराया जाएगा।

7. वित्त विभाग के संकल्प सं०-573, दिनांक-16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक-19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271 के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं अंकेक्षित लेखा स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

8. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक- 05.10.2007 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

9. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-04/सड़क-16-32/2025 के पृष्ठ सं०-134/टि० पर दिनांक-14.10.2025 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०- 148/टि० पर दिनांक-07.02.2026 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-04/सड़क-16-32/2025 **496**

/न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-**16/2/26**

प्रतिलिपि:-संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/नगर आयुक्त, नगर निगम, समस्तीपुर/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/उप सचिव-सह-व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-02, 04 एवं 06 नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के संयुक्त सचिव।